

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत

पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

मु. नं. 13 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	----------------------------------	--

07.01.2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व कोलायत से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सैग्रीगेशन को दृष्टिगत रखते हुए पटवारी हल्का हंदा ने खाता दुरुस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 की प्रति। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

भू-अभिलेख निरीक्षक हदां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत की अनुशंका के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम शरह करनेत तहसील कोलायत व जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में खाता संख्या 22 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	शरह करनेत	22	इकबालसिंह, सतपालसिंह पि. आसासिंह कौम जटसिख सा, कोटे छपडी वाले (अल्लू) तह. व जिला भटिण्डा गुरजीसिंह पुत्र जसवीरसिंह, गुरुसरणसिंह पुत्र अजब सिंह कौम जटसिख सा. थराजवाला तह. गीदडवाह जिला मुक्तसर अकवाम हि. 0.05 है. तथा नीनादेवी धर्मपत्नी बलजीतसिंह जाति. निवासी E 5/5 DLF पेज 1 गुडगांव तह. व जिला गुडगांव हि. 12.65 है. खातेदार	इकबालसिंह, सतपालसिंह पि. आसासिंह कौम जटसिख सा. कोटे छपडी वाले (अल्लू) तह. व जिला भटिण्डा गुरजीसिंह पुत्र जसवीरसिंह, गुरुसरणसिंह पुत्र अजब सिंह कौम जटसिख सा. थराजवाला तह. गीदडवाह जिला मुक्तसर अकवाम हि. 0.05 है. तथा नीनादेवी धर्मपत्नी बलजीतसिंह जाति जाट निवासी E 5/5 DLF पेज 1 गुडगांव तह. व जिला गुडगांव हि. 12.65 है. खातेदार

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय के शुमार होकर हस्त जाब्जा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।

22 07.01.19
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत